

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सप्लाई विविध प्रकरण सं. 05/2019 प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम सकील खां वगैरा																																																																																															
28-06-2019	<p>पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रवर्तक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अतर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण जिला कलक्टर कोर्ट से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 16.03.2019 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में प्रवर्तक निरीक्षक ने अप्रार्थी की फर्म मैसर्स शाहरूख मोटर गैराज जोधपुर का रूबरू निरीक्षण किया गया तथा मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग पेट्रोमेक्स रिफिलिंग के काम में लिये जा रहे कुल 14 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर पाये गये जो भारत गैस व एच0 पी0 कम्पनी के थे। गैस भरने के संबंध में अनुज्ञा पत्र मांगने पर नहीं बताया। इसके अलावा दो रिफिलिंग मशीन, दो वेविंग मशीन व दो कनेक्टर को भी जब्त किया गया। उक्त सिलेण्डरों व सामान को जब्त किया जाकर मैसर्स चन्द्रा गैस कम्पनी के सोहनलाल गोदाम कीपर को सुपुर्द किया गया।</p>																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>सिलेण्डर नं.</th> <th>कम्पनी का नाम</th> <th>सिलेण्डर पर अंकित वजन</th> <th>सिलेण्डर का वजन</th> <th>गैस का वजन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>255636-E</td><td>एचपी</td><td>14.20</td><td>31.70</td><td>17.5</td></tr> <tr><td>2.</td><td>11020377</td><td>एचपी</td><td>14.20</td><td>29.89</td><td>15.69</td></tr> <tr><td>3.</td><td>431845</td><td>एचपी</td><td>14.20</td><td>29.750</td><td>15.55</td></tr> <tr><td>4.</td><td>443189</td><td>एचपी</td><td>14.20</td><td>29.700</td><td>15.50</td></tr> <tr><td>5.</td><td>689719P</td><td>एचपी</td><td>14.20</td><td>29.700</td><td>15.50</td></tr> <tr><td>6.</td><td>521193T</td><td>एचपी</td><td>14.20</td><td>30.850</td><td>16.60</td></tr> <tr><td>7.</td><td>3731563</td><td>एचपी</td><td>14.2</td><td>29.870</td><td>15.60</td></tr> <tr><td>8.</td><td>210626-S</td><td>एचपी</td><td>14.2</td><td>29.690</td><td>15.4</td></tr> <tr><td>9.</td><td>318627-T</td><td>एचपी</td><td>14.2</td><td>30.00</td><td>15.8</td></tr> <tr><td>10.</td><td>998044-S</td><td>भारतगैस</td><td>14.2</td><td>29.720</td><td>15.5</td></tr> <tr><td>11.</td><td>43599-E</td><td>भारतगैस</td><td>14.2</td><td>29.820</td><td>15.6</td></tr> <tr><td>12.</td><td>665766-T</td><td>भारतगैस</td><td>14.2</td><td>29.580</td><td>15.3</td></tr> <tr><td>13.</td><td>0280053-T</td><td>भारतगैस</td><td>14.2</td><td>29.660</td><td>15.4</td></tr> <tr><td>14.</td><td>900978-S</td><td>भारतगैस</td><td>14.2</td><td>19.400</td><td>15.2</td></tr> <tr><td>15.</td><td>001959</td><td>एचपी(वाणिज्यिक)</td><td>19</td><td>22.700</td><td>3.7</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन	1.	255636-E	एचपी	14.20	31.70	17.5	2.	11020377	एचपी	14.20	29.89	15.69	3.	431845	एचपी	14.20	29.750	15.55	4.	443189	एचपी	14.20	29.700	15.50	5.	689719P	एचपी	14.20	29.700	15.50	6.	521193T	एचपी	14.20	30.850	16.60	7.	3731563	एचपी	14.2	29.870	15.60	8.	210626-S	एचपी	14.2	29.690	15.4	9.	318627-T	एचपी	14.2	30.00	15.8	10.	998044-S	भारतगैस	14.2	29.720	15.5	11.	43599-E	भारतगैस	14.2	29.820	15.6	12.	665766-T	भारतगैस	14.2	29.580	15.3	13.	0280053-T	भारतगैस	14.2	29.660	15.4	14.	900978-S	भारतगैस	14.2	19.400	15.2	15.	001959	एचपी(वाणिज्यिक)	19	22.700	3.7
क्र. सं.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन																																																																																											
1.	255636-E	एचपी	14.20	31.70	17.5																																																																																											
2.	11020377	एचपी	14.20	29.89	15.69																																																																																											
3.	431845	एचपी	14.20	29.750	15.55																																																																																											
4.	443189	एचपी	14.20	29.700	15.50																																																																																											
5.	689719P	एचपी	14.20	29.700	15.50																																																																																											
6.	521193T	एचपी	14.20	30.850	16.60																																																																																											
7.	3731563	एचपी	14.2	29.870	15.60																																																																																											
8.	210626-S	एचपी	14.2	29.690	15.4																																																																																											
9.	318627-T	एचपी	14.2	30.00	15.8																																																																																											
10.	998044-S	भारतगैस	14.2	29.720	15.5																																																																																											
11.	43599-E	भारतगैस	14.2	29.820	15.6																																																																																											
12.	665766-T	भारतगैस	14.2	29.580	15.3																																																																																											
13.	0280053-T	भारतगैस	14.2	29.660	15.4																																																																																											
14.	900978-S	भारतगैस	14.2	19.400	15.2																																																																																											
15.	001959	एचपी(वाणिज्यिक)	19	22.700	3.7																																																																																											

इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 7(C) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्राथी दिनांक 17.06.2019 को स्वयं उपस्थित हुआ। अप्राथी ने लिखित व मौखिक में कहा कि इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। अतः इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 7(C) की स्पष्ट अवहेलना की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 15 गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जमा करायी जाये। दो रिफिलिंग मशीन, दो वेविंग मशीन व दो कनेक्टर को ऊंची से ऊंची बोली पर निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में जमा करावें। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।